

30/6
25

पत्रावली बाबत कादेश पेश हुई।
उक्त पत्रावली को ज. नं. 10/2024
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा
मान्य संचालित करने का कादेश
दिया गया है। यदि उक्त पत्रावली
में प्राचीन इमारतों की वही
अनुसंधान संज्ञा है जो ज. नं. 10/24
में प्राचीन इमारतों के संज्ञा है।
पत्रावली में उक्त संज्ञा
रखा है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

